# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

**अपील संख्या – 1087/2013/जयपुर**

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
कार्य संविदा एवम् पट्टा कर,–तृतीय,
जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम्

आर.एम.कन्सट्रक्शन,
191, सूर्य नगर, गोपालपुरा बाईपास रोड,
जयपुर। .....प्रत्यर्थी

**खण्डपीठ**
**श्री सुनील शर्मा, सदस्य**
**श्री मदन लाल, सदस्य**

**उपस्थित : :**

अपीलार्थी की ओर से

श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक।
श्री विनय कुमार गोयल,
अभिभाषक ।

प्रत्यर्थी की ओर से

**निर्णय दिनांक :–24.02.2015**

## निर्णय

1. अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा एवम् पट्टा कर–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) व्यवहारी द्वारा उक्त अपील उपायुक्त (अपील्स–द्वितीय) वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक **27.02.2013** के विरूद्ध पेश की गयी हैं, जो अपील संख्या **253/अपील्स–II/आरवीएटी/जयपुर/एच/2012–13** के संबंध में पारित किया गया है तथा जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) के तहत् जारी अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 के आलोक में, 3 प्रतिशत की दर से जारी कर मुक्ति प्रमाण को निरस्त कर, 1 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी पारित अपीलीय आदेश दिनांक 27.02.2013 को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ठेकेदारी का कार्य करता है। प्रत्यर्थी व्यवहारी को राजस्थान आवासन मण्डल, डिवीजन–तृतीय, जयपुर द्वारा कार्य संविदा क्रमांक 472 दिनांक 09.08.2012 द्वारा रूपये 3,49,84,511/– के अवार्डेड "Tender for development work of EWS 1024 flats at Krishna Apartment Sector-28, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur के लिये मुक्ति प्रमाण पत्र (Exemption Certificate) प्राप्त करने हेतु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रपत्र WT-1 निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये। अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ

लगातार.....2

12(15)एफडी/टैक्स/2012–114 दिनांक 26.03.2012 के तहत् मुक्ति प्रमाण पत्र क्रमांक 0035/30/1507 दिनांक 07.09.2012 को जारी करते हुए 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क निर्धारित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को 1 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देशित कर, प्रकरण को अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा निष्पादित संविदा कार्यों की प्रकृति आवेदन पत्र में अंकित करने के कारण अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा इन कार्यों के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 के तहत् 3 प्रतिशत मुक्ति शुल्क देयता के प्रमाण पत्र जारी किया गया था। अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को आवर्डेड संकर्म संविदा कार्यों के 'जी' शिड्यूल का अवलोकन करने के बाद संविदा कार्य को केवल **"Construction of Road and Boundary wall '** से संबंधित कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य के कारण इन कार्यों को अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 से आच्छादित नहीं होने के कारण उचित रूप से 3 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया जो पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है। कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध 'जी' शिड्यूल के अवलोकन के पश्चात् भी अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को 1 प्रतिशत की कर दर से कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 के आलोक में, पूर्णतः अविधिक है। अतः उक्त आदेश को अपास्त कर, निर्धारण अधिकारी द्वारा 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क संबंधी जारी प्रमाण पत्र की पुष्टि करने की प्रार्थना की गयी ।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल, डिवीजन–तृतीय, जयपुर द्वारा कार्य संविदा क्रमांक 472 दिनांक 09.08.2012 द्वारा रूपये 3,49,84,511/– के अवार्डेड "Tender for development work of EWS 1024 flats at Krishna Apartment Sector-28, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur कार्य संविदा आदेश प्राप्त कर, इस संबंध में कर के स्थान पर 1 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क भुगतान हेतु आवेदन किया गया था परन्तु विद्वान निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को प्राप्त संविदा कार्य को अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 की प्रविष्टि संख्या–3 से आच्छादित होना मानकर, 3 प्रतिशत की कर दर से मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अग्रिम कथन किया कि

लगातार.....3

अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा भिन्न राय अवधारित कर, 3 प्रतिशत की कर दर से मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अपने उक्त तर्क के समर्थन में **कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 1007/2010/कोटा मैसर्स केटी कन्सट्रक्शन प्रा.लि., कोटा बनाम् वाणिजियक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट, कोटा निर्णय दिनांक 16.04.2012 को प्रोद्धरित कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को 1 प्रतिशत की कर दर से कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की गयी ।**

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी को राजस्थान आवासन मण्डल, डिवीजन–तृतीय, जयपुर द्वारा कार्य संविदा क्रमांक 472 दिनांक 09.08.2012 द्वारा रूपये 3,49,84,511/– के अवार्डेड "Tender for development work of EWS 1024 flats at Krishna Apartment Sector-28, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur के लिये मुक्ति प्रमाण पत्र (Exemption Certificate) प्राप्त करने हेतु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रपत्र WT-1 निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये। प्रपत्र WT-1 के तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(15)एफडी/टैक्स/2012–114 दिनांक 26.03.2012 के तहत् मुक्ति प्रमाण पत्र 0035/30/1507 दिनांक 07.09.2012 को जारी करते हुए 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क निर्धारित किया गया जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है क्योंकि राजस्थान आवास मण्डल का मुख्य कार्य राज्य में उचित दरानुसार मकान/फ्लैट्स का निर्माण कर, आमजन का राहत प्रदान करना है । इस संबंध में **राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 12(15)एफडी/टैक्स/2012–114 दिनांक 26.03.2012 के कम संख्या–2 का अवलोकन किया गया जो निम्न प्रकार है:–**

**"Works contract relating to EPC Turnkey power projects awarded by Rajasthan Rajya Vidut Utpadan Nigam Limited, *Works contract relating to Construction of roads*, runways, bridges, dams, drains, tunnels, channels, barrages, diversion, railway tracks, causeways, sub-ways, boundary walls and water harvesting structures."**

हस्तगत प्रकरण में आवास मण्डल द्वारा भी अपीलार्थी व्यवहारी को प्रताप नगर, जयपुर में ईकोनमिकली वीकर सैक्शन की परिधि में आनी वाली जनता के लिये फ्लैट्स के निर्माण के लिये उपर्युक्त वर्णित ठेका आवंटित किया गया है स्पष्टतः **राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 12(15)एफडी/टैक्स/2012–114 दिनांक 26.03.2012 के कम संख्या–2** की परिधि में आने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित रूप से मुक्ति प्रमाण पत्र 1 प्रतिशत की दर से जारी करने के आदेश पारित कर, प्रकरण को विधिक

लगातार..... 4

रूप से निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है। फलस्वरूप, अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाकर, निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

परिणामतः, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

24.2.2015

(मदन लाल)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य